न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 155/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सुरेश पुत्र मुनीराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 08.11.17

(1)–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 85/2016 सरकार बनाम सुरेश में निर्णय दिनांक 28.09.2016 के तहत मौजा अमरपुरा के खसरा नं. 159 रकबा 2 बिस्वा गै.मु. गोवा रास्ता भूमि से बेदखली, शास्ति एवं सिविल कारावास के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 25.10.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 16.11.16 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

(2)–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

(2)(I)–खसरा नं. 159 मौजा अमरपुरा के किसी भी भू भाग पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नही था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। जिससे भी जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

2](II)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जबकि मौके पर किसी भी तरह का अपीलांट का अतिक्रमण नही था। जिससे भी जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

(2)(III)–अपीलान्ट पश्चातवृत्ति अतिक्रमी नही है। न ही कोई अतिक्रमण था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना कोई सुनवायी का अवसर दिये ही एक पक्षीय आदेश पारित किया है। जिससे जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

(2)(IV)–वर्तमान में खसरा नं. 159 पर अपीलांट का कोई किसी तरह का कब्जा नही है तथा मौके पर पूर्ण रूप से रास्ता खुला है। आज दिन कोई किसी तरह का अपीलांट के द्वारा अतिक्रमण व कब्जा किया हुआ नही है और न ही भविष्य में करेगा। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश को अपास्त किया जाना चाहिये।

(2)(V)–जैर अपील आदेश की अपीलांट को जानकारी होने पर अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना शपथ पत्र पेश किया कि खसरा नं. 159 पर कोई किसी तरह का कब्जा नही है तथा न ही भविष्य में करेगा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस मौका रिपोर्ट में अपीलांट के द्वारा किसी भी तरह का अतिक्रमण नही होना व मौके पर रास्ता खुला होना स्पष्ट रूप से अंकित है। ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

(2)(VI)–वकील अपीलांट द्वारा यह भी बताया गया कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य में अपीलांट राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये तथा अपने कथन के समर्थन में आरआटी 2011(2) पेज 1163–64, आरआटी 2011(2) पेज 912–13, आरआटी 2009 (2) पेज 858–60, आरआटी 2009 (2) पेज 1016–18, आरआटी 2009 (2) पेज 1029–31, आरआटी 2014–15 (Supp.) पेज 680–82 तथा आरआटी 2014–15 (Supp.) पेज 728–30 नजीरे पेश की है।

(3)–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा अमरपुरा में स्थित गै. मु. गोवा रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया

अपर कलक्टर, नागौर

गया। आराजी भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। इससे पूर्व में प्रकरण सं. 1/14 के द्वारा अपीलांट को दिनांक 16.7.14 को बेदखली के आदेश पारित कर भौतिक रूप से बेदखली भी की गई है तथा पश्चातवृति अतिक्रमण होने पर ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके अमरपुरा के खसरा नंबर 159 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन गोवा रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। इससे पूर्व प्रकरण सं. 1/14 में दिनांक 16.7.14 को अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखली किया जाना फर्द दिनांक 16.7.14 से साबित है। आदेश जैर अपील होने के पश्चात् अपीलांट द्वारा आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया जाना रिपोर्ट पटवारी दिनांक 03.10.16 से साबित है तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने हेतु अपीलांट द्वारा आश्वस्त भी किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में सजा के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलांट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी। शेष आदेश बेदखली व जुर्माना जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर